भारत सरकार

श्रम और रोजगार मंत्रालय

लोक सभा

अतारांकित प्रश्न संख्या-111

सोमवार, 3 फरवरी, 2020/14 माघ, 1941 (शक)

बेरोजगारी की दर

111. श्री चन्द्र शेखर साहूः
डॉ॰ प्रीतम गोपीनाथ राव मुंडेः

क्या श्रम और रोजगार मंत्री यह बताने की कृपा करेंगे किः

(क) क्या देश में उच्च बेरोजगारी की दर चिंता का विषय है;

(ख) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ग) क्या केंद्र सरकार की देश में उच्च बेरोजगारी की दर संबंधी चिंताओं के बीच एक नई राष्ट्रीय रोजगार नीति (एनईपी) लाने की संभावना है;

(घ) यदि हां, तो तत्संबंधी तथ्य क्या हैं;

(ङ) इस नीति के परिणाम क्या होंगे इस बारे में स्पष्टता लाने की आवश्यकता है अन्यथा योजनाएं सिर्फ योजना बनकर रह जाएंगी; और

(च) यदि हां, तो नीति के परिणाम के संबंध में स्पष्टता लाने के लिए केंद्र सरकार द्वारा क्या कदम उठाए गए हैं?

उत्तर

श्रम और रोजगार राज्य मंत्री (स्वतंत्र प्रभार)

(श्री संतोष कुमार गंगवार)

(क) एवं (ख): राष्ट्रीय सांख्यिकी कार्यालय (एनएसओ), सांख्यिकी एवं कार्यक्रम कार्यान्वियन मंत्रालय द्वारा 2017-18 के दौरान आयोजित किए गए वार्षिक आवधिक श्रम बल सर्वेक्षण (पीएलएफएस) के परिणामों के अनुसार, देश में 15 वर्ष एवं उससे अधिक आयु के व्यक्तियों की सामान्य स्थिति (प्रमुख स्थिति+सहायक स्थिति) आधार पर उपलब्ध सीमा तक अनुमानित बेरोजगारी दर 6.0% थी।

नियोजनीयता में सुधार करते हुए रोजगार सृजन करना सरकार की प्राथमिकता रही है। सरकार ने देश में रोजगार का सृजन करने के लिए कई कदम उठाए हैं जैसे अर्थव्यवस्था के निजी क्षेत्र को प्रोत्साहित करना, पर्याप्त निवेश सहित विभिन्न परियोजनाओं को गति प्रदान करना तथा विभिन्न योजनाओं पर सार्वजनिक व्यय में वृद्धि करना।

(ग) से (च): राष्ट्रीय रोजगार नीति का मसौदा तैयार करने के लिए एक अंतर-मंत्रालयी समिति का गठन किया गया था और नीति के आगतों के लिए विभिन्न हितधारकों के साथ मंत्रालयों, राज्य सरकारों, व्यापार संघों, उद्योग संघों, आईएलओ आदि के साथ विचार-विमर्श किया गया था।

प्रस्तावित नीति का उद्देश्य अन्य बातों के साथ, वृहद-आर्थिक नीतिगत मामले, क्षेत्रीय नीतिगत मामले, श्रम नीतिगत मामले, सूक्ष्म और लघु उद्यमों के मामले, कौशल विकास के मामले, महिलाओं और कमजोर श्रमिकों से संबंधित मामलों का समाधान करना और रोजगार के अवसरों में सुधार के लिए सुझावों को शामिल करना है।

*****